न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–18/2019 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. श्रीमती चमेली धर्मपत्नि हरिराम कोली निवासी करौली कुण्ड के सामने, अलवर राज0

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. नेतराम नाथ पुत्र जयराम नाथ जाति सपेरा निवासी ग्राम मेडीबास तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0
2. मनोहर नाथ पुत्र जयराम जाति सपेरा निवासी ग्राम बुर्जा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0
3. राम कुंवार नाथ जाति सपेरा निवासी मेडीबास तहसील मालाखेडा जिला अलवर
4. डूंगरनाथ पुत्र सुआ लाल जाति सपेरा निवासी मेडीबास तहसील मालाखेडा जिला अलवर
5. मु0 सन्तरा पुत्री जयराम नाथ जाति सपेरा निवासी ग्राम बुर्जा तहसील मालाखेडा जिला अलवर
6. रामानन्द गुप्ता दत्तक पुत्र रामप्रसाद गुप्ता जाति महाजन नि0 बुर्जा तह0 मालाखेडा जिला अलवर
7. तहसीलदार साहब, मालाखेडा तह0 मालाखेडा जिला अलवर राज0

..... रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :–
1. श्री पुष्कर राज मुखीजा, अभिभाषक अपीलांट ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–21.10.2019

यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 03.07.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचाराधीन आराजी खसरा नं0 819 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम बुर्जा तहसील मालाखेडा जिला अलवर में स्थित है जो आराजी प्रार्थीया द्वारा जरिये बयनामा के दिनांक 28.10.2010 को मूला पुत्र नानगा जाति चमार निवासी ग्राम बुर्जा तहसील मालाखेडा जिला अलवर से मूल्य 4,80,000/–रू. में खरीद की थी। जिस आराजी पर प्रार्थीया वक्त खरीद से ही काबिज चली आ रही है और मौके पर बाजरे की फसल खडी हुई

है। विचाराधीन आराजी से अप्रार्थीगण अथवा किसी अन्य व्यक्ति का कोई ताल्लुक व सरोकार किसी भी किस्म का नही है।

विचाराधीन आराजी के तरफ पश्चिम की ओर रास्ता व कब्रिस्तान की भूमि है जिस कब्रिस्तान की भूमि को बढाने की नियति से अप्रार्थी संख्या 01 लगा0 07 प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी पर खिलाफ कानून कब्जा करके दबाना चाहते है। प्रार्थीया की खातेदार भूमि में कब्रिस्तान के लिये पक्का निर्माण करने की धमकी भी दी गई जिस कारण प्रार्थीया ने दिनांक 12.06.2019 को एक वाद धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र तहत अदालत ने पेश किया। जिससे दिनांक 17.06.2019 को तहत अदालत के द्वारा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। तहत न्यायालय में अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने की अनुमति नही मांगी गई इसके बाबजूद भी तहत अदालत द्वारा कब्रिस्तान के रख रखाव एवं सघन पेड–पौधे हेतु भूमि की पैमाइश व सीमाज्ञान कराने के उपरान्त निर्माण करने की अनुमति दी जाकर प्रार्थी के साथ अन्याय किया है जो कि न्यायसंगत नहीं है।

तहत अदालत द्वारा दिनांक 17.06.2019 में आंशिक संशोधन करते हुये आराजी खसरा नं0 819 के तरफ पश्चिम में खसरा नं0 761 रकबा 31 एअर जो चारागाह की आराजी थी उसे बाद पैमाइश व सीमाज्ञान के खसरा नं0 761 रकबा 0.31 है0 में निर्माण करने हेतु अप्रार्थीगण को स्वतंत्र कर दिया गया।

तहत न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीया द्वारा उक्त अपील इस न्यायालय में पेश की है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तहत न्यायालय की पत्रावली व अपील के तथ्यों एवं रेकार्ड का अवलोकन किया । कानूनी बिन्दुओं पर भी गौर किया । तहत अदालत के आदेश का भी सूक्ष्म अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया।

तहत अदालत द्वारा दिनांक 17.06.2019 को उभयपक्ष को आगामी तारीख पेशी तक विचाराधीन आराजी के रेकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् पाबन्द किया जाकर दिनांक 03.07.2019 को अप्रार्थीगण को प्रार्थीया के कब्जेकाश्त में मजाहमत व **मदालखात** न करने हेतु आदेशित किया है।

अप्रार्थीगण को भी आदेशित किया है कि आराजी खसरा नंबर 761 रकबा 0.31 है0 में पैमाइश व सीमाज्ञान कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य हेतु स्वतंत्र होंगे।

अभिभाषक अपीलांट कथन है कि रेस्पो0 उनको आवंटित भूमि पर बाउण्ड्रीवाल करते हुये प्रार्थीया की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.07.2019 में अप्रार्थीगण को प्रार्थीया के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदालखात न करने हेतु पाबन्द किया साथ ही अप्रार्थीगण को उनको आवंटित भूमि की पैमाइश के बाद ही निर्माण कार्य करने के आदेश दिये हैं।

प्रकरण में तहत अदालत द्वारा विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय किया है। अतः तहत न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाना उचित समझते हुये अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21.10.19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर